भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1532
सोमवार, 09 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक)

तेलंगाना में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना

†1532.श्री कुंदुरु रघुवीर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि तेलंगाना में कार्यशील कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के क्षेत्रीय कार्यालय पर अन्य कई राज्यों की तुलना में काफी अधिक कार्यभार है, जबकि उन राज्यों में नामित उप-क्षेत्रीय कार्यालय हैं जहाँ बीमित व्यक्तियों की संख्या कम है और औद्योगिक कार्यकलाप भी कम है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने तेलंगाना में उप-क्षेत्रीय कार्यालय के अभाव के कारण परिचालन दबाव, लंबित मामलों और सेवा संबंधी विलंब का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का क्षेत्रीय कार्यालय पर बोझ कम करने और उद्योगों और कामगारों को ईएसआईसी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और श्रम कल्याण सेवाओं की कुशल प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए तेलंगाना में एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्वीकृत करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अन्य राज्यों में उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं और क्या तेलंगाना उन मानदंडों को पूरा करता है या उनसे भी आगे है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): दिनांक 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार, तेलंगाना में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के तहत पंजीकृत नियोक्ताओं और बीमित व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 1,35,941 और 15,90,370 है, जो देश भर के कुल 24,83,511 नियोक्ताओं और 3,24,29,970 बीमित व्यक्तियों का लगभग क्रमशः 5.5 प्रतिशत और 4.9 प्रतिशत है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उप-क्षेत्रीय कार्यालयों को खोलना और बड़े क्षेत्रीय कार्यालयों का द्विभाजन करना एक सतत प्रक्रिया है जो परिचालन आवश्यकताओं और समय-समय पर संशोधित दिशा-निर्देशों पर आधारित होती है।

ऐसे प्रस्तावों पर विचार करते समय, राजस्व-व्यय की स्थिति, आर्थिक व्यवहार्यता और कर्मचारियों की उपलब्धता जैसे कारकों को भी ध्यान में रखा जाता है।

*****